बिहार सरकार,
कृषि विभाग

पत्र सं० –एन.एच.एम. / बी.एच.डी.एस.–329 / 2014 / कृ0, पटना दिनांक , 201

प्रेषक,

विश्वनाथ चौधरी, बि०प्र०से०
निदेशक प्रशासन –सह– अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
बीरचन्द पटेल पथ, पटना।

आगत सं 1357
दिनांक 22/9/14

#अनौपचारिक रूप से परामर्शित

#द्वारा – वित्त विभाग, बिहार, पटना।

विषय– **बिहार हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट सोसाईटी को बागवानी विकास कार्यक्रमों के लिए वित्तीय वर्ष 2014–15 में 178.948 करोड़ रूपये (केन्द्रांश 53.225 करोड़ रूपये एवं राज्यांश 125.693 करोड़ रूपये) सहायक अनुदान की स्वीकृति एवं इसके तहत् एम.आई.डी.एच. अन्तर्गत राष्ट्रीय बागवानी मिशन तथा राष्ट्रीय बाँस मिशन, राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन, राष्ट्रीय सब्जी इनिसियेटिव योजना, मुख्यमंत्री बागवानी मिशन एवं शुष्क बागवानी के भौतिक एवं वित्तीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन की स्वीकृति।**

आदेश : स्वीकृत।

निदेशानुसार बिहार हॉर्टिकल्चर सोसाईटी को बागवानी विकास कार्यक्रमों के लिए वित्तीय वर्ष 2014–15 में 178.948 करोड़ रूपये (केन्द्रांश 53.225 करोड़ रूपये एवं राज्यांश 125.693 करोड़ रूपये) सहायक अनुदान की स्वीकृति एवं इसके तहत् एम.आई.डी.एच. अन्तर्गत राष्ट्रीय बागवानी मिशन तथा राष्ट्रीय बाँस मिशन, राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन, राष्ट्रीय सब्जी इनिसियेटिव योजना, मुख्यमंत्री बागवानी मिशन एवं शुष्क बागवानी के भौतिक एवं वित्तीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. राष्ट्रीय बागवानी मिशन / राष्ट्रीय सब्जी इनिसियेटिव योजना / राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन / राष्ट्रीय बाँस मिशन / मुख्यमंत्री बागवानी मिशन / शुष्क बागवानी कार्यक्रम के लिए वर्ष 2014–15 में स्वीकृत वित्तीय लक्ष्य निम्न प्रकार है :–

क्रमांक	मिशन / योजना	केन्द्रांश	राज्यांश / अतिरिक्त राज्यांश	कुल
1	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	42.50	10.933	53.433
2	राष्ट्रीय सब्जी इनिसियेटिव योजना	9.00 (RKVY)	16.6185	25.6185
3	राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन	0.99	2.994	3.984
4	राष्ट्रीय बाँस मिशन	0.765	0.0675	0.8325
5	मुख्यमंत्री बागवानी मिशन		86.32	86.32
6	शुष्क बागवानी		8.76	8.76
कुल योग		53.255	125.693	178.948

राष्ट्रीय बागवानी मिशन / राष्ट्रीय सब्जी इनिसियेटिव योजना / राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन / राष्ट्रीय बाँस मिशन / मुख्यमंत्री बागवानी मिशन / शुष्क बागवानी कार्यक्रम का वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकृत कार्यक्रम अनुसूची :– 1, 2, 3, 4, 5 एवं 6 संलग्न है।

Letter dt. 01.09.14

स्वीकृत राशि का सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्गवार विभाजन

(राशि करोड़ रूपये में)

क्र० सं०	मिशन/योजना	मद	स्वीकृत राशि	सामान्य वर्ग के लिए राशि	अनुसूचित जाति वर्ग के लिए राशि	अनुसूचित जनजाति के लिए राशि	योग (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	केन्द्रांश	42.5000	35.2750	6.8000	0.4250	42.5000
		राज्यांश	10.9330	9.0750	1.7490	0.1090	10.9330
2	राष्ट्रीय सब्जी इनिसियेटिव योजना	केन्द्रांश (RKVY)	9.0000	7.4700	1.4400	0.0900	9.0000
		राज्य योजना	16.6185	13.7934	2.6590	0.1661	16.6185
3	राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन	केन्द्रांश	0.9900	0.8200	0.1600	0.0100	0.9900
		राज्य योजना	2.9940	2.4850	0.4790	0.0300	2.9940
4	राष्ट्रीय बाँस मिशन	केन्द्रांश	0.7650	0.6350	0.1220	0.0080	0.7650
		राज्य योजना	0.0675	0.0560	0.0108	0.0007	0.0675
5	मुख्यमंत्री बागवानी मिशन	राज्य योजना	86.3200	71.6460	13.8110	0.8630	86.3200
6	शुष्क बागवानी	राज्य योजना	8.7600	7.2708	1.4016	0.0876	8.7600
	कुल योग		**178.9480**	**148.5262**	**28.6324**	**1.7894**	**178.9480**

3. राष्ट्रीय बागवानी मिशन/राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन/राष्ट्रीय बाँस मिशन में भारत सरकार द्वारा कार्यमद, इकाई लागत एवं अनुदान दर निर्धारित किया गया है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित इकाई लागत वास्तविक लागत से कम है, जिसके फलस्वरूप किसानों को योजना का लाभ पूरी तरह से नहीं मिल पाता है एवं वे योजना के प्रति उत्सुक नहीं होते हैं। भारत सरकार द्वारा निर्धारित इकाई दर को यथावत् रखते हुए कुछ कार्यमदों के अनुदान दरों में विभागीय यूनिट कॉस्ट कमिटी द्वारा भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान दरों के अतिरिक्त 10–15% की वृद्धि की गयी है। जिन मदों में अतिरिक्त अनुदान स्वीकृत की गयी है, जिसका विवरण अनुसूची 7 एवं 8 संलग्न है।

4. वर्धित अनुदान दरें समान रूप से सभी जिलों में एक समान लागू होगी। राज्य योजना से प्रस्तावित की गई लक्ष्य को आवश्यकतानुसार किसी भी जिले के लिए कर्णांकित की जा सकती है।

5. एम.आई.डी.एच. अन्तर्गत राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम केन्द्र प्रायोजित योजना (केन्द्रांश 85 प्रतिशत एवं राज्यांश 15 प्रतिशत) है। इस योजना के कतिपय मदों में राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त अनुदान स्वीकृत किया गया है, जिसका विवरणी अनुसूची–7 संलग्न है। यह राज्य के 23 जिलों में कार्यान्वित कराया जाता है। इसी पैटर्न पर राज्य के अन्य 15 जिलों में मुख्यमंत्री बागवानी मिशन शत–प्रतिशत राज्य योजना मद से कार्यान्वित कराया जाता है। बिहार हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट सोसाईटी द्वारा पूर्व से शत–प्रतिशत राज्य योजना मद से कार्यान्वित करायी जा रही विशेष फसल योजना एवं बागों में अन्तर्वर्त्ती फसल की योजना को वित्तीय वर्ष 2014–15 में मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना में समाहित कर दिया गया है, जिसका कार्यान्वयन जिला बागवानी विकास समिति द्वारा जिला उद्यान पदाधिकारी समपरिवर्तित सहायक निदेशक उद्यान द्वारा कराया जायेगा। अन्तर्वर्ती फसल योजना के तहत् वित्तीय वर्ष 2012–13 में कार्यान्वित कराये गये योजना के बकाया देनदारियाँ भुगतान हेतु 215.108 करोड़ रूपये की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2014–15 में दी गई है। वित्तीय वर्ष 2013–14 में अन्तर्वर्त्ती फसल योजना के तहत् प्राप्त राशि 22.07 करोड़ से योजना का कार्यान्वयन नहीं कराया जा सका, फलतः इस अवशेष राशि से उक्त वित्तीय वर्ष के स्वीकृत भौतिक लक्ष्य को इस वित्तीय वर्ष में कार्यान्वित कराने की स्वीकृति दी गई है। यह योजना अब राज्य के पूर्व के स्वीकृत दस जिलों के अतिरिक्त अन्य 11 जिलों यथा मधुबनी, खगड़िया, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, पटना, सारण, सिवान, भोजपुर, लखीसराय में कार्यान्वित कराया जायेगा।

राष्ट्रीय सब्जी प्रोत्साहन योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में शामिल है, परन्तु भारत सरकार द्वारा कार्य योजना स्वीकृत नहीं किया गया है। अतः शत–प्रतिशत राज्यांश से वित्त पोषण की स्वीकृति दी गई है। भारत सरकार से जिस हद तक राशि प्राप्त होगी। उस हद तक राज्यांश मद से कम व्यय किया जायेगा।

[signature] 1/9/14

राष्ट्रीय बाँस मिशन तथा राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन शत–प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना है, परन्तु कतिपय मदों में राज्य सरकार अतिरिक्त अनुदान देती है। वित्तीय वर्ष 2013–14 में राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन मद में राज्यांश से प्राप्त राशि 1.38 करोड़ रूपये के विरूद्ध इस वित्तीय वर्ष में कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं का भी अनुदान दर वित्तीय वर्ष 2014–15 में स्वीकृत अनुदान दर के सदृश्य रहेगा। राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन के तहत् वित्तीय वर्ष 2014–15 में स्वीकृत अनुदान दरें अनुसूची 8 संलग्न है।

शुष्क बागवानी कार्यक्रम शत–प्रतिशत राज्य योजना से वित्त पोषित है। इस कार्यक्रम के तहत् नवादा, बांका, जमुई, औरंगाबाद, गया, कैमूर, मुंगेर एवं रोहतास जिला में फलदार एवं औषधीय वृक्षों जैसे बेल, बेर, जामुन, कटहल, शरीफा एवं आंवला का रोपण किया जाना है, जिसका अनुदान दर निम्न प्रकार होगा :–

क्र० सं०	वर्ष	अनुदान की राशि प्रति पौधा
1	प्रथम वर्ष	150 रूपये
2	द्वितीय वर्ष	100 रूपये
3	तृतीय वर्ष	50 रूपये

इस योजना के तहत् वित्तीय वर्ष 2014–15 में चार लाख पौधा लगाने का लक्ष्य है तथा 2011–12 एवं 2012–13 की प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के अनुदान की राशि स्वीकृत है।

(6) बागवानी मिशन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तर पर बिहार हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट सोसाईटी एवं जिला स्तर पर जिला बागवानी विकास समिति गठित है। बिहार हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट सोसाईटी के राज्य स्तर पर कार्यकारी प्रधान मिशन निदेशक एवं जिला स्तर पर जिला बागवानी विकास समिति के अध्यक्ष संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी हैं। विशेष उद्यानिक फसल एवं बागों में अन्तर्वर्त्ती फसल योजना का जिला स्तर पर कार्यान्वयन जिला बागवानी विकास समिति द्वारा ही किया जायेगा।

(7) राष्ट्रीय बागवानी मिशन/राष्ट्रीय बाँस मिशन/राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन एवं आर.के.वी. वाई. के तहत् राष्ट्रीय सब्जी प्रोत्साहन योजना के केन्द्रांश की राशि बैंक ड्राफ्ट/इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस/ट्रेजरी मोड के तहत् भारत सरकार द्वारा विमुक्त की जायेगी। ट्रेजरी मोड के तहत् भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश मद में विमुक्त की गई राशि की ट्रेजरी से निकासी हेतु बजट शीर्ष का निर्धारण प्रशासी विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार किया जायेगा, जिसके तहत् केन्द्रांश की निकासी ट्रेजरी से किया जा सकेगा। राज्यांश की राशि कृषि विभाग, बिहार द्वारा बिहार हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट सोसाईटी को विमुक्त किया जायेगा। बिहार हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट सोसाईटी द्वारा निधि संबंधित जिला के जिला बागवानी विकास समिति को विमुक्त किया जायेगा।

(8) राष्ट्रीय बागवानी मिशन/राष्ट्रीय बाँस मिशन/राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन में प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य के विरूद्ध भारत सरकार से केन्द्रांश की विमुक्ति/उपलब्धता के समानुपातिक राज्यांश की विमुक्ति बजट उपबंध के अन्तर्गत की जायेगी।

राष्ट्रीय सब्जी इनिसियेटिव योजना के तहत् शत–प्रतिशत राज्य योजना से प्रस्तावित कार्यक्रम, मुख्यमंत्री बागवानी मिशन एवं शुष्क बागवानी कार्यक्रम के लिए शत–प्रतिशत राशि की विमुक्ति राज्य योजना से बजट उपबंध के अन्तर्गत किया जायेगा।

(9) इन योजनाओं का कार्यान्वयन भारत सरकार के मार्गदर्शिका तथा कृषि रोड मैप के अधीन निर्धारित कार्यान्वयन अनुदेश के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा। प्रत्येक योजना के लिए केन्द्रांश तथा राज्यांश का लेखा संधारण अलग–अलग किया जायेगा तथा अंकेक्षण भी इसी रीति से कराया जायेगा। योजना कार्यान्वयन के संबंध में यथा आवश्यक संशोधन प्रशासी विभाग द्वारा किया जा सकता है।

(10) सोसाईटी द्वारा योजनाओं के परिणाम (Outcome) के विश्लेषण के साथ–साथ मूल्यांकन कराया जायेगा तथा फलाफल से कृषि विभाग को अवगत कराया जायेगा।

(11) योजनाओं का बजट शीर्ष निम्न प्रकार निर्धारित है :–

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना का प्रकार (केन्द्र सम्पोषित / राज्य सम्पोषित)	केन्द्रांश / राज्यांश (वर्ग)	बजट शीर्ष
1	एम.आई.डी.एच. के तहत् राष्ट्रीय बागवानी मिशन	केन्द्र सम्पोषित (केन्द्रांश – 85%)	केन्द्रांश (सभी वर्ग)	मुख्य शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म उपमुख्य शीर्ष–00 लघु शीर्ष 119–बागवानी तथा वनस्पति फसलें माँग संख्या 1 उप शीर्ष 0224– राष्ट्रीय बागवानी मिशन विपत्र कोड P2401001190224 राज्य योजना स्कीम कोड– AGR .... विषय शीर्ष 31 06 सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा
2	एम.आई.डी.एच. के तहत् राष्ट्रीय बागवानी मिशन	केन्द्र सम्पोषित (राज्यांश – 15%)	राज्यांश (सभी वर्ग)	मुख्य शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म उपमुख्य शीर्ष–00 लघु शीर्ष 119–बागवानी तथा वनस्पति फसलें माँग संख्या 1 उप शीर्ष 0324– राष्ट्रीय बागवानी मिशन विपत्र कोड P2401001190324 राज्य योजना स्कीम कोड– AGR .... विषय शीर्ष 31 06 सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा
3	राष्ट्रीय सब्जी इनिसियेटिव योजना / मुख्यमंत्री बागवानी मिशन / शुष्क बागवानी	राज्य योजना सम्पोषित (राज्यांश – 100%)	राज्यांश (अनुसूचित जाति वर्ग)	मुख्य शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म उपमुख्य शीर्ष–00 लघु शीर्ष 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना– माँग संख्या 1 उप शीर्ष–0130–उद्यान विकास योजना विपत्र कोड P2401007890130 राज्य योजना स्कीम कोड–AGR .... विषय शीर्ष 31 06 सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा
4	राष्ट्रीय सब्जी इनिसियेटिव योजना / मुख्यमंत्री बागवानी मिशन / शुष्क बागवानी	राज्य योजना सम्पोषित (राज्यांश – 100%)	राज्यांश (अनुसूचित जनजाति वर्ग)	मुख्य शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म उपमुख्य शीर्ष–00 लघु शीर्ष 796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–माँग संख्या 1–उपशीर्ष 0152–उद्यान विकास योजना विपत्र कोड P2401007960152 राज्य योजना स्कीम कोड– AGR .... विषय शीर्ष 31 06 सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा
5	राष्ट्रीय सब्जी इनिसियेटिव योजना / मुख्यमंत्री बागवानी मिशन / शुष्क बागवानी	राज्य योजना सम्पोषित (राज्यांश – 100%)	राज्यांश (सामान्य वर्ग)	मुख्य शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म उपमुख्य शीर्ष–00 लघु शीर्ष 119–बागवानी तथा वनस्पति फसलें माँग संख्या 1 उप शीर्ष 0101–उद्यान विकास योजना विपत्र कोड P2401001190101 राज्य योजना स्कीम कोड–AGR 5026 विषय शीर्ष 31 06 सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा

(12) बिहार हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट सोसाईटी को अनुदान के रूप में स्वीकृत राशि की निकासी निदेशक उद्यान, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। बिहार हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट सोसाईटी को अनुदान के रूप में स्वीकृत राशि की निकासी बी.टी.सी. फार्म–42 पर की जायेगी, जिसके साथ बिहार हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट सोसाईटी से पूर्व प्राप्ति रसीद संलग्न की जायेगी। विपत्र में योजना का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा। बिहार हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट सोसाईटी द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र कृषि विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी एवं इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार के कार्यालय को भेजी जायेगी। साथ ही बिहार वित्तीय नियमावली के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता होगी।

(13) अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए उपबंधित राशि का व्यय क्रमशः अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लाभुकों के लिए किया जायेगा। स्वीकृत राशि से जिला की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की आबादी के प्रतिशत के अनुसार उनके कल्याणार्थ राशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा। राज्य स्तर पर अनुसूचित जाति के लिए न्यूनतम 16 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 1 प्रतिशत व्यय सुनिश्चित किया जायेगा। यह भी प्रयास किया जायेगा कि लाभूक में से न्यूनतम 30 प्रतिशत महिला कृषकों की भागीदारी हो।

(14) मंत्रिमंडल सचिवालय विभागी अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.03.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या–96 वि० (2) दिनांक 03.01.2008 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति संचिका संख्या– एन.एच.एम. / बी.एच.डी.एस. –329 / 2014 के पृष्ठ संख्या 17 / टि० पर प्राप्त है। मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक 26.08.2014 को आयोजित बैठक में इस योजना में स्वीकृति दी गयी है।

Letter dt. 01.09.14

[signature] 1/9/14

(15) वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

(16) राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति दिनांक 16.09.2014 को प्राप्त है, जो संचिका संख्या – एन.एच.एम./बी.एच.डी.एस.–329/2014 के पृ०– 19/टि० पर संधारित है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

12.9.14

(विश्वनाथ चौधरी)

सरकार के निदेशक प्रशासन –सह– अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – 1585 /कृ0,पटना दिनांक 16/09/2014

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.9.14

सरकार के निदेशक प्रशासन –सह– अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – 1585 /कृ0,पटना दिनांक 16/09/2014

प्रतिलिपिः– योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग एवं मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.9.14

सरकार के निदेशक प्रशासन –सह– अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – 1585 /कृ0,पटना दिनांक 16/09/2014

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.9.14

सरकार के निदेशक प्रशासन –सह– अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – 1585 /कृ0,पटना दिनांक 16/09/2014

प्रतिलिपि– अध्यक्ष, राज्य किसान आयोग, बिहार, पटना/ उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना/ कृषि मंत्री के आप्त सचिव/ कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव, बिहार, पटना/ संयुक्त सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/ मिशन निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी मिशन/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम० कृषि विभाग, बिहार, पटना/ सभी जिला उद्यान पदाधिकारी/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

12.9.14

सरकार के निदेशक प्रशासन –सह– अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – 1585 /कृ0,पटना दिनांक 16/09/2014

प्रतिलिपि– अवर सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना सेल, कृषि भवन, नई दिल्ली–110114/कृषि सलाहकार, योजना आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली– 110001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.9.14

सरकार के निदेशक प्रशासन –सह– अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

Letter dt. 01.09.14

<u>अनुसूची–1</u>

राष्ट्रीय बागवानी मिशन, वर्ष 2014–15

क्र० सं०	मद	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य (लाख रूपये में)				अभ्युक्ति
			केन्द्रांश	राज्यांश	अतिरिक्त राज्यांश (टॉप–अप सहायतानुदान)	कुल	
1	हाई टेक नर्सरी (4.0 हे०)	1	85.00	15.00		100.00	
2	लघु नर्सरी (1 हे०)	2	12.75	2.25	-	15.00	
3	एक्रेडिटेशन हेतु विभागीय नर्सरियों में आधारभूत संरचना का उन्नयन	2	17.00	3.00	-	20.00	
4	नये टिश्यू कल्चर इकाई की स्थापना	1	212.50	37.50	-	250.00	
5	सब्जी बीज उत्पादन						
i	सार्वजनिक क्षेत्र (खुला परागण)	25 हे०	7.4375	1.3125	-	8.75	
ii	निजी क्षेत्र (खुला परागण)	50 हे०	5.2063	0.9188	-	6.125	
6	अनानास (सकर से)	250 हे०	55.7813	9.8438	16.40625	82.03125	
7	टिश्यू कल्चर केला	750 हे०	239.0625	42.1875	70.3125	351.5625	
8	पपीता	500 हे०	95.6250	16.8750	-	112.5000	
9	अमरूद की अति सघन बागवानी (ड्रिप एवं मल्चिंग के साथ)	10 हे०	4.08	0.72	1.20	6.00	
10	ड्रिप एवं मल्चिंग के साथ समेकित सघन बागवानी						
i	आम	10 हे०	3.06	0.54	0.90	4.50	
ii	लीची	5 हे०	1.53	0.27	0.45	2.25	
iii	अमरूद	5 हे०	1.53	0.27	0.45	2.25	
iv	आँवला	5 हे०	1.53	0.27	0.45	2.25	
11	सघन बागवानी						
i	आम	590 हे०	120.36	21.24	-	141.60	
ii	लीची	115 हे०	23.46	4.14	-	27.60	
iii	अमरूद	115 हे०	23.46	4.14	-	27.60	
iv	आँवला	95 हे०	19.38	3.42	5.70	28.50	
12	मशरूम						
i	मशरूम उत्पादन इकाई	8	54.40	9.60	16.00	80.00	
ii	मशरूम स्पॉन उत्पादन इकाई	6	30.60	5.40	9.00	45.00	
iii	मशरूम कम्पोस्ट उत्पादन इकाई	6	40.8	7.2	12.00	60.00	
13	फूल की खेती						
i	कटे फूल	35 हे०	11.90	2.10	3.50	17.50	
ii	कन्द फूल	15 हे०	7.65	1.35	2.25	11.25	
iii	खुले फूल	750 हे०	102.00	18.00	30.00	150.00	

क्र० सं०	मद	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य (लाख रूपये में)				अभ्युवि
			केन्द्रांश	राज्यांश	अतिरिक्त राज्यांश (टॉप–अप सहायतानुदान)	कुल	
14	मसाला फसलों की खेती	400 हे०	40.80	7.20	12.00	60.00	
15	संगधीय पौधों की खेती	300 हे०	40.80	7.20	12.00	60.00	
16	पूराने बागों का जीर्णोद्धार	300 हे०	51.00	9.00	-	60.00	
17	संरक्षित खेती						
i	ग्रीन हाउस (फैन एवं पैड)	5000 वर्ग मीटर	31.1313	5.4938	-	36.6250	
ii	ग्रीन हाउस ट्यूबुलर संरचना	50000 वर्ग मीटर	198.6875	35.0625	-	233.75	
iii	शेड–नेट (ट्यूबुलर संरचना)	35000 वर्ग मीटर	105.6125	18.6375	-	124.25	
iv	वाक–इन–टनेल	8000 वर्ग मीटर	20.40	3.60	-	24.00	
v	ग्रीन हाउस में उच्च लागत का सब्जी उत्पादन के लिए बीज	75000 वर्ग मीटर	44.6250	7.875	-	52.50	
vi	ग्रीन हाउस में फूल उत्पादन के लिए पौध रोपण सामग्री	23000 वर्ग मीटर	59.6275	10.5225	-	70.15	
vii	प्लास्टिक मल्चिंग	400 हे०	54.400	9.60	-	64.00	
18	आई०पी०एम०	1000 हे०	10.20	1.80	-	12.00	
19	बायो कंटोल लैब (सार्वजनिक क्षेत्र)	1	76.50	13.50	-	90.00	
20	लीफ टिश्यू एनालिसीस लैब (सार्वजनिक क्षेत्र)	1	21.25	3.75	-	25.00	
21	जैविक खेती का अनुषंगीकरण	1000 हे०	85.00	15.00		100.00	
22	जैविक प्रमाणीकरण	1000 हे०	85.00	15.00		100.00	
23	वर्मी कम्पोस्ट इकाई (पक्का)	100	25.50	4.50		30.00	
24	सेंटर ऑफ एक्सेलेंस (सब्जी और फल के लिए) इण्डो–इजरायल परियोजना के अंतर्गत	2	425.00	75.00	-	500.00	
25	मधुमख्खी कॉलोनी बक्सा	15000	102.00	18.00	30.00	150.00	
26	मधुमख्खी छत्ता	15000	102.00	18.00	30.00	150.00	
27	मधु निकासी यंत्र एवं फूड ग्रेड कन्टेनर	1500	102.00	18.00	30.00	150.00	
28	शक्ति चालित यंत्र (20 अश्व शक्ति से अधिक) रोटावेटर के साथ	30	30.60	5.40	-	36.00	
29	अग्रपंक्ति प्रत्यक्षण	8	127.50	22.50	-	150.00	
30	मानव संसाधन विकास	1054	91.7150	16.1850	-	107.90	
31	पैक हाउस	20	34.00	6.00	-	40.00	
32	इन्टिग्रेटेड पैक हाउस (कन्वेयर बेल्ट, छँटाई, ग्रेडिंग इकाई, धुलाई, सुखाई एवं तौल यंत्र युक्त)	1	14.875	2.625	-	17.50	

क्र० सं०	मद	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य (लाख रूपये में)				अभ्युक्ति
			केन्द्रांश	राज्यांश	अतिरिक्त राज्यांश (टॉप–अप सहायतानुदान)	कुल	
33	प्री–कूलिंग इकाई	1	7.4375	1.3125	-	8.75	
34	कोल्ड स्टोरेज	3	357.00	63.00	-	420.00	
35	रीफर वैन	4	30.94	5.46	15.60	52.00	
36	प्राथमिक / चलन्त / अल्पतम प्रसंस्करण इकाई	1	8.50	1.50	2.50	12.50	
37	राईपेनिंग चैम्बर	1	148.75	26.25	-	175.00	
38	निम्न लागत की परिरक्षण इकाई	2	1.70	0.30	-	2.00	
39	प्याज भण्डारण इकाई	100	74.375	13.125	-	87.50	
40	अपनी मण्डी	5	42.50	7.50	12.50	62.50	
41	रिटेल मार्केट / आउटलेट	8	35.70	6.30	30.00	72.00	
42	स्टैटिक / मोबाईल भेंडिग कार्ट (शीत कक्ष के साथ)	50	6.375	1.125	-	7.50	
43	क्वालिटी कंटोल / एनालिसीस लैब (सार्वजनिक क्षेत्र)	1	170.00	30.00	-	200.00	
	योग (A)	**235,144**	**4039.6038**	**712.8713**	**343.21875**	**5095.69375**	
44	मिशन प्रबंधन						
i	राज्य तथा जिला स्तर पर प्रशासनिक खर्च, कम्प्यूटराईजेशन तथा सी.एन.सी.		127.5213	22.5038		150.0250	
ii	मुख्यालय सुदृढीकरण, वाहनों का किराया एवं हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर हेतु व्यय		8.50	1.50		10.00	
iii	सेमिनार						
(क)	राज्य स्तरीय	2	5.10	0.90		6.00	
(ख)	जिला स्तरीय	5	8.50	1.50		10.00	
vi	मुद्रित लेखन सामग्री एवं स्थानीय विज्ञापन द्वारा सूचना प्रसारण		26.7750	4.7250		31.50	
vii	राज्य स्तरीय तकनीकी सलाहकार	8	34.00	6.00		40.00	
	योग (B)	**15**	**210.3963**	**37.1288**		**247.5250**	
	कुल योग (A+B)	**235159**	**4250.00**	**750.00**	**343.21875**	**5343.21875**	
कुल तिरपन करोड़ एकतालीस लाख इक्कीस हजार आठ सौ पचहत्तर रूपये							

अनुसूची–2

राष्ट्रीय सब्जी प्रोत्साहन योजना, वर्ष 2014–15

क्र० सं०	मद	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य (लाख रूपये में)			अभ्युक्ति
			केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	जैविक सब्जी की खेती	8093 हे०	298.69	1646.55	1945.24	
2	ट्यूबुलर ग्रीनहाउस का निर्माण (प्राकृतिक वायु संचरण)	12000 वर्ग मीटर	56.10	-	56.10	
3	ट्यूबुलर शेडनेट का निर्माण	20000 वर्ग मीटर	71.00	-	71.00	
4	वॉक इन टनेल	10000 वर्ग मीटर	30.00	-	30.00	
5	ग्रीन हाउस में उच्च गुणवत्ता सब्जी की खेती	42000 वर्ग मीटर	29.40	-	29.40	
6	प्याज भण्डारण इकाई (संख्या)	400	350.00	-	350.00	
7	रेफर वैन (संख्या)	2	18.20	7.80	26.00	
8	रिटेल मॉर्केट आउटलेट (नियंत्रित वातावरण) (संख्या)	2	10.50	4.50	15.00	
9	संग्रहण छँटनी / ग्रेडिंग पैकिंग इकाई (संख्या)	2	12.00	3.00	15.00	
10	किसानों का राज्य के बाहर प्रशिक्षण हेतु परिभ्रमण (संख्या)	350	17.50	-	17.50	
11	परामर्शी सेवा तथा अन्यान्य व्यय	—	6.61	-	6.61	
कुल योग			900.00	1661.85	2561.85	
कुल पचीस करोड़ इकसठ लाख पचासी हजार रूपये						

अनुसूची–3

राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन , वर्ष 2014–15

क्र० सं०	मद	भौतिक लक्ष्य		वित्तीय लक्ष्य (लाख रूपये में)				अभ्युक्ति
		रा.औ.पा.मि.	राज्य योजना	केन्द्रांश	राज्यांश (टॉप अप)	अतिरिक्त राज्यांश	कुल	
1	**रोपन सामग्री**							
i	लघु नर्सरी 1 हे० (निजी क्षेत्र)	1	–	2.00			2.00	
ii	लघु नर्सरी 1 हे० (लोक क्षेत्र)	1	–	4.00			4.00	
	योग	**2**		**6.00**			**6.00**	
2	**औषधीय खेती**							
i	बच	5		0.6250	0.9375		1.5625	
ii	ऐलोवेरा	200	–	17.0000	25.5000		42.5000	
iii	कालमेघ	100	–	5.0000	7.5000		12.5000	
iv	सतावर	25	–	2.3440	3.5156		5.8596	
v	तुलसी	100	–	6.0000	14.0000		20.0000	
vi	स्टीविया	75	75	46.8750	70.3125	117.1875	234.3750	
vii	अश्वगंधा	100	–	5.0000	7.50000		12.5000	
viii	मुश्कदाना	50	–	2.0000	3.0000		5.0000	
ix	सफेद मुसली	5	–	3.1250	4.6875		7.8125	
	योग	**660**	**75.00**	**87.9690**	**136.9531**	**117.1875**	**342.1096**	
3	एच० आर० डी०							
i	किसान प्रशिक्षण (राज्य में)		1000 दिन			8.0000	8.0000	
ii	एच० आर० डी० फॉर ऐरोमेटिक इन्टरप्रेन्युर (आषधीय एवं सुगंधित पौधों के लिए प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन केन्द्र की स्थापना हेतु)		1			20.0000	20.0000	
	योग		**1**			**28.0000**	**28.0000**	
4	**संगध पौधों पर राज्य स्तरीय सेमिनार आयोजन हेतु**		1			3.0000	3.0000	
	योग		**1**			**3.0000**	**3.0000**	
5	मिशन प्रबंधन			4.6985		14.2570	4.6985	
	कुल योग 1+2+3+4+5			**98.6675**	**136.9531**	**162.4445**	**398.0651**	

तीन करोड अन्ठान्वे लाख छह हजार पाँच सौ दस रूपये

अनुसूची–4

राष्ट्रीय बाँस मिशन, वर्ष 2014–15

क्र० सं०	मद	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य (लाख रूपये में)			अभ्युक्ति
			केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	गैर वानिकी क्षेत्र में बाँस का रोपण	200 हे०	7.00	3.00	10.00	
2	वित्तीय वर्ष 2013–14 में रोपित बाँस की देखभाल	200 हे०	8.00	-	8.00	
3	वर्त्तमान बाँस का उन्नयन	200 हे०	16.00	-	16.00	
4	कृषक प्रशिक्षण					
i	राज्य के अन्दर (संख्या)	500	5.00	-	5.00	
ii	राज्य के बाहर (संख्या)	100	5.00	-	5.00	
5	क्षेत्रीय कर्मियों का प्रशिक्षण (राज्य के अन्दर) (संख्या)	100	2.00	-	2.00	
6	राज्य स्तरीय कर्मशाला/सेमिनार (संख्या)	2	6.00	-	6.00	
7	कीट एवं व्याधि प्रबंधन	50 हे०	0.10	-	0.10	
8	बाँस का थोक/खुदरा ग्रामीण बाजार	1	8.75	3.75	12.50	
9	गाँव के समीप बाँस का रिटेल आउटलेट	2	7.00	-	7.00	
10	घरेलू व्यापार मेला/प्रदर्शनी में भागीदारी	1	8.00	-	8.00	
11	मिशन मैंनेजमेन्ट		3.6425	-	3.6425	
कुल योग			76.4925	6.75	83.2425	
कुल तिरासी लाख चौबीस हजार दो सौ पचास रूपये						

Sanlekh (AAP) 2014-15, 18.06.2014

अनुसूची–5

मुख्यमंत्री बागवानी मिशन का वार्षिक कार्य योजना 2014–15

क्र० सं०	मद	भौतिक लक्ष्य (संख्या / हे०)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रूपये में)
1	2	3	4
A	**पौध रोपण सामग्री उत्पादन**		
i)	हाई–टेक नर्सरी 4 हेक्टेयर (सार्वजनिक क्षेत्र)	1	100.00
ii)	छोटी नर्सरी 1 हेक्टेयर (निजी क्षेत्र)	2	15.00
iii)	टिश्यू कल्चर इकाई का स्थापना		
a)	सार्वजनिक क्षेत्र	1	250.00
b)	निजी क्षेत्र	1	125.00
iv)	सब्जी / मसाला बीज उत्पादन		
a)	सार्वजनिक क्षेत्र	25	8.75
b)	निजी क्षेत्र	400	70.00
A2	नये बाग की स्थापना (क्षेत्र विस्तार)		
i)	अनानास (ड्रिप एवं मल्चिंग के बगैर)	200	87.50
ii)	टिश्यू कल्चर केला		
a)	ड्रिप एवं मल्चिंग के साथ	25	37.50
b)	ड्रिप एवं मल्चिंग के बगैर	375	234.375
iii)	पपीता (रेड लेडी प्रभेद)	900	270.00
iv)	पान	3000	450.00
v)	अति उच्च घनत्त्व अमरूद बाग (ड्रिप एवं मल्चिंग के साथ)	6	3.60
vi)	उच्च घनत्त्व बागों की स्थापना		
a)	आम	500	150.00
b)	लीची	50	15.00
c)	अमरूद	80	24.00
d)	आँवला	80	24.00
vii)	बागों के द्वितीय वर्ष का रख–रखाव (बारहमासी)		
a)	आम	900	72.00
b)	लीची	250	20.00
c)	अमरूद	220	17.60
d)	आँवला	223	32.112
viii)	बागों के द्वितीय वर्ष का रख–रखाव (गैर–बारहमासी)		
a)	टिश्यू कल्चर केला	990	185.338
ix)	तृतीय वर्ष में बागों का रख–रखाव (बारहमासी)		95.00
A3	**मशरूम**		
i)	मशरूम उत्पादन इकाई	8	80.00
ii)	मशरूम स्पॉन उत्पादन इकाई	6	45.00
iii)	मशरूम कम्पोस्ट उत्पादन इकाई	6	60.00
iv)	स्पॉन एवं कम्पोस्ट का वितरण	150000	81.00
A4	**पुष्प की खेती**		
i)	कटे हुए पुष्प	25	12.50
ii)	कन्द वाले पुष्प	20	15.00
iii)	खुले पुष्प	500	100.00
A5	**मसाला का क्षेत्र विस्तार**		
i)	बीज एवं राईजोम वाले मसाले	1000	150.00
A6	**सगंध पौधे**		
i)	तुलसी, पामारोजा, मेंथा इत्यादि	4600	920.00
B1	**पुराने बागों का जीर्णोद्धार**	50	10.00
B2	**जल संचय तालाब (छोटा तालाब 20m x 20m x 3m)**	300	225.00

Letter dt. 18.06.14

क्र० सं०	मद	भौतिक लक्ष्य (संख्या / हे०)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रूपये में)
1	2	3	4
B3	**संरक्षित खेती**		
i)	पॉली हाउस / ग्रीन हाउस (ट्युबलर स्ट्रक्चर)	50000	234.00
ii)	शेडनेट हाउस (ट्युबलर स्ट्रक्चर)	25000	88.75
iii)	वाक इन टनेल	25000	75.00
iv)	ग्रीन हाउस में हाई वैल्यू सब्जी उत्पादन हेतु बीज	75000	52.50
v)	ग्रीन हाउस में कारनेशन एवं जरबेरा उत्पादन हेतु पौध रोपण सामग्री	25000	76.25
vi)	प्लास्टिक मल्चिंग	1000	160.00
B4	**आई.पी.एम.**	3000	60.00
B5	**जैविक खेती**		
i)	जैविक खेती का अंगीकरण	1000	40.00
ii)	जैविक खेती का प्रमाणीकरण	1000	30.00
B6	**उत्तम कृषि क्रियाएं (लीची)**	3000	150.00
B7	**मधुमक्खी पालन**		
i)	मधुमक्खी बक्सा	25000	250.00
ii)	मधुमक्खी छत्ता	25000	250.00
iii)	मधु निष्कासन यंत्र फूड ग्रेड कन्टेनर के साथ	500	50.00
B8	**अग्रपंक्ति प्रत्यक्षण (पान)**	20	375.00
B9	**एच.आर.डी**		
i)	राज्य के अन्दर कृषक प्रशिक्षण	750	7.50
C	**इन्टीग्रेटेड पोस्ट हार्वेस्ट**		
i)	पैक हाउस	20	40.00
ii)	रीफर भैन	2	26.00
iii)	प्राईमरी / मोबाईल / मिनीमल प्रसंस्करण इकाई	2	25.00
iv)	आसवन इकाई	70	175.00
v)	कम लागत का प्याज भण्डारण इकाई	200	175.00
D	**विपणन के लिए आधारभूत संरचना**		
i)	अपनी मंडी / ग्रामीण बाजार / जिला बाजार	15	187.50
ii)	रिटेल मार्केट आउटलेट (पर्यावरण नियंत्रित)	5	37.50
iii)	संग्रहण, छंटनी, ग्रेडिंग, पैकेजिंग के लिए आधारभूत संरचना	3	15.00
E	**स्पेशल इन्टरभेंसन**		
i)	प्लास्टिक क्रेट्स	50000	150.00
ii)	लेनोबैग	100000	9.00
iii)	सहजन विकास मिशन	100000	9.00
iv)	किचन गार्डन किट	10000	9.00
v)	मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार		270.00
vi)	तालाब में मखाना उत्पादन	400	53.60
vii)	खेत में मखाना उत्पादन	25	4.005
viii)	मखाना पॉपिंग मशीन	50	50.00
ix)	संकर टमाटर की खेती	600	150.00
x)	परवल की खेती	50	7.50
xi)	संकर सब्जी का जैविक उत्पादन	150	37.50
xii)	बगीचे में अन्तर्वर्त्ती खेती		
a)	हल्दी	670	140.70
b)	अदरख	335	184.25
c)	ओल की खेती	400	360.00
F	**मिशन मैनेजमेन्ट**		417.00
G	**2012–13 के अन्तर्वर्त्ती खेती के देयता का भुगतान**		215.108
		688011	**8631.938**

Letter dt. 18.06.14

अनुसूची –6

शुष्क बागवानी अन्तर्गत वर्षवार वितरित पौधों की संख्या।					
क्र० सं०	जिला का नाम	वर्षवार वितरित			वितरण का लक्ष्य
		2011–12	2012–13	2013–14	2014–15
1	नवादा	80500	98240	-	50000
2	बांका	61972	-	-	50000
3	जमुई	68375	12500	-	50000
4	औरंगाबाद	-	-	-	50000
5	गया	-	-	-	50000
6	कैमूर	-	-	-	50000
7	मुंगेर	-	-	-	50000
8	रोहतास	-	-	-	50000
कुल		**210847**	**110740**	-	**400000**

शुष्क बागवानी 2014–15 हेतु लक्ष्य एवं आवश्यकता			
क्र० सं०	वित्तीय वर्ष	पौधों की संख्या	कुल राशि की आवश्यकता
1	2011–12	220000 X ₹50.00 (3rd year)	11000000.00
2	2012–13	110740 X ₹100.00 (2nd year)	11074000.00
3	2013–14	110740 X ₹50.00 (3rd year)	5537000.00
4	2014–15	400000 X ₹150.00 (1st year)	60000000.00
		कुल योग	**87611000.00**
शुष्क बागवानी अन्तर्गत कुल राशि की आवश्यकता ₹87611000.00			
(आठ करोड़ छिहत्तर लाख ग्यारह हजार रूपये मात्र)			

अनुसूची–7

Subsidy Rates in Central Scheme/Additional Subsidy Rates from State Plan Approved for 2014-15

Sl. No.	Name of Component	Unit	Unit Cost (in Lakh)	Subsidy Rates in Central Scheme (In Lakh)	Additional Subsidy Rates from State Plan (In Lakh)	Total Subsidy (In Lakh)
1	Setting of New T.C. Units (Private Sector)	Number	250.00	40% max. 100.00	10% max. 25.00	50% max. 125.00
2	Vegetable & Spices Seed Production (Private Sector)	Hectare	0.35	35% max. 0.123	15% max. 0.053	50% max. 0.175
3	Pineapple	Hectare	0.875	40% max. 0.35	10% max. 0.875	50% max. 0.4375
4	Tissue Culture Banana with drip & mulching	Hectare	3.00	40% max. 1.20	10% max. 0.30	50% max. 1.50
5	Tissue Culture Banana without drip & mulching	Hectare	1.25	40% max. 0.50	10% max. 0.125	50% max. 0.625
6	Ultra High Density Medo Orchards of Guava	Hectare	2.00	40% max. 0.80	10% max. 0.20	50% max. 1.00
7	HDP Mango Orchards	Hectare	1.00	40% max. 0.40	10% max. 0.10	50% max. 0.50
8	HDP Litchi Orchards	Hectare	1.00	40% max. 0.40	10% max. 0.10	50% max. 0.50
9	HDP Guava Orchards	Hectare	1.00	40% max. 0.40	10% max. 0.10	50% max. 0.50
10	HDP Aonla Orchards	Hectare	1.00	40% max. 0.40	10% max. 0.10	50% max. 0.50
11	Mushroom Production Unit	Nos.	20.00	40% max. 8.00	10% max. 2.00	50% max. 10.00
12	Mushroom Spawn Making Unit	Nos.	15.00	40% max. 6.00	10% max. 1.50	50% max. 7.50
13	Mushroom Compost Production Unit	Nos.	20.00	40% max. 8.00	10% max. 2.00	50% max. 10.00
14	Cut Flower	Hectare	1.00	40% max. 0.40	10% max. 0.10	50% max. 0.50
15	Bulbulous Flower	Hectare	1.50	40% max. 0.60	10% max. 0.15	50% max. 0.75
16	Loose Flower	Hectare	0.40	40% max. 0.16	10% max. 0.04	50% max. 0.20
17	Seed Spices and Rhizomatic Spices	Hectare	0.30	40% max. 0.12	10% max. 0.03	50% max. 0.15
18	Other Aromatic Plants	Hectare	0.40	40% max. 0.16	10% max. 0.04	50% max. 0.20
19	I.P.M.	Hectare	0.04	30% max. 0.012	20% max. 0.008	50% max. 0.020
20	Honey Bee Colony	Number	0.02	40% max. 0.008	10% max. 0.002	50% max. 0.010
21	Bee Hives	Number	0.02	40% max. 0.008	10% max. 0.002	50% max. 0.010
22	Honey Extractor including Food Grade Container	Number	0.20	40% max. 0.08	10% max. 0.02	50% max. 0.10
23	Reefer Van	Number	26.00	35% max. 9.10	15% max. 3.90	50% max. 13.00
24	Primary/Mobile/Minimal Processing Unit	Number	25.00	40% max. 10.00	10% max. 2.50	50% max. 12.50
25	Rural Market/Apni Mandi/District Mandi	Number	25.00	40% max. 10.00	10% max. 2.50	50% max. 12.50
26	Retail Market Outlet (Environmentally Controlled)	Number	15.00	35% max. 5.25	15% max. 2.25	50% max. 7.50
27	Collection, Sorting, Grading & Packaging Unit	Number	15.00	40% max. 6.00	10% max. 1.50	50% max. 7.50
28	Hybrid Tomato	Hectare	0.50	40% max. 0.20	10% max. 0.05	50% max. 0.25
29	Pointed Gourd	Hectare	0.30	40% max. 0.12	10% max. 0.03	50% max. 0.15
30	Hybrid Vegetable (Organic)	Hectare	0.50	40% max. 0.20	10% max. 0.05	50% max. 0.25
31	Plastic Crates	Number	0.00333		90% max. 0.003	90% max. 0.003
32	Leno Bag	Number	0.00010		90% max. 0.00009	90% max. 0.00009
33	Kitchen Garden Kit	Number	0.0010		90% max. 0.0009	90% max. 0.0009
34	Drum Stick Mission	Number	0.00010		90% max. 0.00009	90% max. 0.00009
35	Chief Minister Vegetable Seeds Crash Programme		0.0030		90% max. 0.0027	90% max. 0.0027

Letter dt. 18.06.14

अनुसूची–8

Subsidy Rates National Medicinal Plant Mission (Central Scheme) Additional Subsidy Rates from State Plan Approved for 2014-15

Sl. No.	Name of Component	Unit	Unit Cost (in Lakh)	Subsidy Rates in Central Scheme (In Lakh)	Additional Subsidy Rates from State Plan (In Lakh)	Total Subsidy (In Lakh)
1	Area expension of Buch	Hectare	0.62500	20% max. 0.12500	30% max. 0.18750	50% max. 0.31250
2	Area expension of Aloevera	Hectare	0.42500	20% max. 0.8500	30% max. 0.12750	50% max. 0.21250
3	Area expension of Kalmegh	Hectare	0.25000	20% max. 0.5000	30% max. 0.7500	50% max. 0.12500
4	Area expension of Satawar	Hectare	0.62500	20% max. 0.12500	30% max. 0.18750	50% max. 0.31250
5	Area expension of Tulsi (Aromatic)	Hectare	0.40000 MIDH	40% max. 0.16000	As per MIDH Norms 10% max. 0.4000	50% max. 0.20000
6	Area expension of Khus (Aromatic)	Hectare	0.40000 MIDH	40% max. 0.16000	As per MIDH Norms 10% max. 0.4000	50% max. 0.20000
7	Area expension of Stevia	Hectare	3.12500	20% max. 0.62500	30% max. 0.93750	50% max. 1.56250
8	Area expension of Stevia (State Plan)	Hectare	3.12500	-	50% max. 1.56250	50% max. 1.56250
9	Area expension of Ashwagandha	Hectare	0.25000	20% max. 0.5000	30% max. 0.7500	50% max. 0.12500
10	Area expension of Artemisia (Aromatic)	Hectare	0.40000 MIDH	40% max. 0.16000	As per MIDH Norms 10% max. 0.4000	50% max. 0.20000
11	Area expension of Muskadana	Hectare	0.20000	20% max. 0.4000	30% max. 0.6000	50% max. 0.1000
12	Area expension of Safed Musli	Hectare	3.12500	20% max. 0.62500	30% max. 0.93750	50% max. 1.56250
13	HRD/Farmer Training Within District (State Plan)	Number	0.01000/day MIDH	100% max. 0.1000/day farmer	As per MIDH Norms	As per MIDH Norms
14	HRD for Aromatic plants entrepreneure (Training centre for Aromatic and Medicinal Plants for processing and value addition)/State Plan	Number	20.00 MIDH	100% max. 20.00	As per MIDH Norms	As per MIDH Norms
15	State level seminar on Aromatic plants (State Plan)	Number	3.00 MIDH	100% max. 3.00	As per MIDH Norms	As per MIDH Norms